

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

कमरा नं० 7209, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन नं० 0141-2227047 फैक्स नं० 0141-2227281
ई-मेल: jsecy.tad@gmail.com Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.3(ए)()/शिक्षा/सीटीएडी/2016-17

जयपुर, दिनांक 14/12/2020
स्वीकृति सं० 35/2020-21

आयुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय - विभाग द्वारा नवनिर्मित कॉलेज छात्रावास सराडा, सलूमबर, खैरवाडा एवं आबूरोड का संचालन वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ करने तथा जनजाति कल्याण निधि बजट मद 2202-03-796-04-01(राज्य निधि) अन्तर्गत नवीन पदसृजन, जॉब बेसिस पर सर्विस आउटसोर्स पर कार्य करवाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

प्रसंग- (i) आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.3(ए)()/शिक्षा/सीटीएडी/2016-17 में प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

1. स्वीकृति-(1) विभाग द्वारा नवनिर्मित कॉलेज छात्रावास सराडा, सलूमबर, खैरवाडा एवं आबूरोड का संचालन वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ करने तथा जनजाति कल्याण निधि बजट मद 2202-03-796-04-01(राज्य निधि) अन्तर्गत प्रत्येक कॉलेज छात्रावास हेतु एक-एक अधीक्षक (पे मैट्रिक्स लेवल-11) कुल 04 पद सृजन जो शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे, की सहमति दी जाती है।

2. जॉब बेसिस पर आउटसोर्सिंग से सेवाएं- उक्त 04 छात्रावासों की आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रसोईया, चौकीदार एवं स्वीपर कार्य सेवाएं RTPP Act 2012 व RTPP Rules 2013 की पालना सुनिश्चित करते हुए Scope of work निर्धारित कर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 एवं आदेश दिनांक 14.11.2018 के अनुसार Job basis पर services outsource करने की सहमति दी जाती है। किसी भी प्रकार की संविदा नियुक्ति अनुज्ञेय नहीं है।

2. वित्तीय वर्ष - 2020-21

3. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-11) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 162000879 दिनांक 10.12.2020 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

(नेहा गिरि)

संयुक्त शासन सचिव

5. प्रतिलिपि-

- 1 प्रमुख सचिव-मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक-मंत्री,टीएडी/निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 2 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेखे)।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-11)
- 4 निदेशक, वित्त (आय-व्ययक) विभाग, जयपुर।
- 5 जिला कलक्टर, उदयपुर एवं सिरोही।
- 6 वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 7 परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर एवं सिरोही।
- 8 कोषाधिकारी, उदयपुर एवं सिरोही।
- 9 एसीपी कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 10 गार्ड फाईल।

लेखाधिकारी

स्वीकृति सं० 35/2020-21

दिनांक 14/12/2020